<u>निरीक्षण प्रतिवेदन</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. 75/2022 (अविनाश देसाई विरूध्द कमिश्नर नगर निगम सागर व अन्य), प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 12/10/2022 में उल्लेखानुसार गठित कमेटी के अनुसार नगर निगम सागर के कार्यपालन यंत्री श्री विजय कुमार दुबे एवं श्री संजय तिवारी, प्र. सहायक यंत्री तथा क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य रसायनज्ञ डॉ. आर.के.जैन द्वारा दिनांक 07/11/2022 को संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। (फोटोग्राफ संलग्न) बिन्दुबार स्थिति निम्नानुसार है। :-

1. नगर निगम सागर के अन्तर्गत आने वाले बाघराज वार्ड की भूमि के खसरा क्रमांक 161 मौजा पिपरिया एवं खसरा नं. 55/1 तिली माफी में गरीब एवं आवासहीन लोगों हेतु राजीव आवास योजना के अन्तगर्त बनी छत्रसाल कॉलोनी में 1248 मकान G+2 पेटर्न पर विभिन्न ब्लॉकों में बनाए गए है।
2. आवास योजना के मकानों से निकलने वाले घरेलू दूषित जल के निस्तारण हेतु सीवर लाइन बिछाई गई है तथा प्राथमिक उपचार हेतु 02 सेप्टिक टैंक बनाए गये हैं। वर्तमान में एक सेप्टिक टैंक क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे नगर निगम द्वारा शीघ्र निर्माण किया जाना है, जिसकी निविदा जारी कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3. घरेलू दूषित जल प्राथमिक उपचार पश्चात् कालोनी में स्थित प्राकृतिक नाले से प्रवाहित हो रहा है।
4. उल्लेखनीय है कि नगर निगम सागर में अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर प्रोजेक्ट का कार्य प्रगतिरत है तथा शहर के विभिन्न वार्डो से निकलने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 43 MLD का एस.टी.पी का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न)

   वर्तमान में 3 पंम्पिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो 75 प्रतिशत पूर्णतः की ओर हैं। सीवेज योजना का कार्य पूर्ण होते ही याचिका में उल्लेखित छत्रसाल हाऊसिंग कालोनी वाघराज वार्ड के प्राथमिक उपचारित जल को भी सीवर लाईन से जोड़ लिया जायेगा। कार्य प्रगतिरत् है जिसे मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
5. याचिकाकर्ता की जमीन कालोनी के पीछे खसरा क्रमांक 53 पर स्थित है। निरीक्षण के दौरान उक्त जमीन पर कृषि कार्य किया जाना पाया गया है तथा **दूषित जल का भराव** कही नहीं पाया गया।
6. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में उल्लेख किया गया है कि आवासीय कालोनी का अनुपचारित दूषित जल अनाधिकृत रूप से आवेदक की जमीन पर निस्तारित किया जा रहा है जो की सही नहीं है, क्योकि याचिकाकर्ता एवं कालोनी की जमीन आपस में लगी

हुई है जिनके किनारे से प्राकृतिक नाला बहता है, इसी नाले से प्राथमिक उपचारित जल प्रवाहित हो रहा है।

7. याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि अनुपचारित दूषित जल के बहाव के कारण तथा पॉलिथिन आदि बह कर आने के कारण खेती की जमीन एवं ट्यूबवेल प्रभावित हो रहा है, जो कि उचित नहीं है याचिकाकर्ता का ट्यूबवेल नाले से दूर है निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा खेती करना पाया गया। (फोटोग्राफ संलग्न) नाले में बहने वालें पॉलिथिन एवं कचरे की सफाई नगर निगम द्वारा नियमित करायी जाती है। नगर निगम द्वारा सीवेज लाईन का कार्य पूर्ण होते ही उक्त कॉलोनी के सीवेज को एस.टी.पी. से जोड़ दिया जायेगा। उक्त कार्य 2023 तक किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार स्थल निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

डॉ. आर.के. जैन
प्रमुख रसायनज्ञ
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सागर

संजय तिवारी
प्र. सहा. यंत्री
नगर पालिक निगम
सागर

विजय कुमार दुबे
मुख्य कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम
सागर